झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)

रिक्ति विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) के अधीन पंचायत राज स्व"ाासन परिषद, झारखण्ड में प्रखण्ड समन्वयक पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतू योग्य उम्मीदवारों से जिलावार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। जिलावार पदों की रिक्ति निम्न प्रकार है :

1. पदों की संख्या :

क्र0	जिला का नाम	सामान्य	अ0जाति	अ0ज0 जाति	अ0पि0वर्ग (अनु–1)	पि0वर्ग (अनु–2)	कुल
1	राँची	9	1	6	2	0	18
2	खूँटी	3	0	3	0	0	6
3	कोडरमा	3	1	0	1	1	6
4	गिरिडीह	7	1	1	2	2	13
5	प"िचम सिंहभूम	10	1	8	0	0	19
6	सिमडेगा	5	1	4	0	0	10
7	गढ़वा	9	5	2	1	1	18
8	पलामू	11	6	2	2	1	22
9	पूर्वी सिंहभूम	6	0	3	1	1	11
10	सरायकेला–खरसावॉ	5	0	4	0	0	9
11	हजारीबाग	8	2	0	4	2	16
12	रामगढ़	3	0	2	1	0	6
13	लातेहार	5	1	3	0	0	9
14	चतरा	6	2	1	2	1	12
15	गुमला	6	0	6	0	0	12
16	लोहरदगा	4	0	3	0	0	7
17	बोकारो	5	1	1	1	1	9
18	धनबाद	5	1	1	2	1	10
19	देवघर	5	1	1	2	1	10
20	जामताड़ा	3	1	2	0	0	6
21	दुमका	5	0	5	0	0	10
22	गोड्डा	5	1	2	1	0	9
23	पाकुड़	3	0	3	0	0	6
24	साहेबगंज	5	0	4	0	0	9
कुल योग :–		**136**	**26**	**67**	**22**	**12**	**263**

2. आरक्षण :
आरक्षण एवं उम्र में छुट का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। विज्ञापन प्रका"ान की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी हागे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्न प्रमाणपत्र समर्पित करने होंगे :–

- जाति प्रमाणपत्र : अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में (31.10.16 के बाद निर्गत)।

3. आयुसीमा :–

दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम–21 वर्ष एवंअधिकतम–35 वर्ष, अनारक्षित–35 वर्ष, पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–37 वर्ष, महिला अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग–38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एव महिला)–40 वर्ष

4. मानदेय/संविदा राशि :–16500/– रूपये प्रतिमाह।

5. आवेदन की प्रकिया :

ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर समर्पित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि online आवेदन से पूर्व अपनी योग्यता एवं अहत्र्ता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लें। आवेदन केवल ONLINE ही जमा किया जा सकता है। online आवेदन की तिथि दिनांक **15.09.2017** से **05.10.2017** तक है।

6: आवेदित पद एवं जिला का नाम .... अंकित करें।

7: विस्तृत विज्ञापन एवं विवरण हेतु कृपया www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर जायें।

ह0/–

(रंजीत रंजन प्रसाद)

अवरसचिव,

ग्रामीणविकासविभाग

(पंचायती राज प्रभाग)

ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

सूचना

विज्ञापन संख्या PR-169466 द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाि"ात पंचायत राज स्व"ाासन परिषद्, झारखण्ड के अधीन प्रखण्ड समन्वयक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति में पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा एवं पलामू जिले के श्रेणी वार पदों को निम्न रूपेन संशाधित किया जाता है :–

क्र0	जिलाकानाम	सामान्य	अ0जाति	अ0ज0 जाति	अ0पि0वर्ग (अनु–1)	पि0वर्ग (अनु–2)	कुल
1.	पि"चम सिंहभूम	9	1	8	0	0	18
2.	गढ़वा	10	5	3	1	1	20
3.	पलामू	11	5	2	2	1	21

2.सभी जिलों के लिए online आवेदन करने की तिथि संशोधित कर दिनांक **15.09.2017 से 05.10.2017** की जाती है ।

3. शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

ह0 / –
(रंजीत रंजन प्रसाद)
अवरसचिव,
ग्रामीणविकासविभाग
(पंचायती राज प्रभाग)

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

पंचायत राज स्वशासन परिषद अंतर्गत, निहित प्रावधान एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सृजित: प्रखंड समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते है । ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर लॉगइन करके समर्पित किया जा सकता है।

1: प्रखंड समन्वयक की रिक्तियां :

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय / संविदा राशि
क)	प्रखंड समन्वयक	263 (प्रत्येक प्रखंड में एक)	16500 /- रुपये प्रति माह (सरकार द्वारा राशि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी)

2 (क) आयु सीमा,अनिवार्य योग्यता , कार्य अनुभव एवं कार्य विवरण : प्रखंड समन्वयक

आयु सीमा	21-35 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
स्थानीयता	आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन समर्पित कर रहा हो उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए
आरक्षण	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत जिला स्तरीय आरक्षण प्रणाली लागू की जाएगी
अनिवार्य योग्यता	सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.टेक/बी.ई/बी.बी.ए/बी.सी.ए या ग्रामीण विकास/ समाज कार्य/ राजनीति विज्ञान / लोक प्र शासन/ समाज शास्त्र /मानवशास्त्र /भूगोल /अर्थशास्त्र /वाणिज्य /सांख्यिकी से सम्बंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक
कार्य का विवरण	● पंचायत स्वयं सेवकों के चयन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन राशि एवं पंचायत के कार्यों में उनकी सहभागिता के सम्बन्ध में परिषद के निर्णयों का अनुपालन ● परिषद के वांछित प्रतिवेदनों का प्रेषण ● पंचायत राज व्यवस्था से सम्बंधित प्राधिकारों, संस्थाओं, हितधारकों से समन्वय ● परिषद द्वार सौंपे गये अन्य कार्य

3: रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया

3 (क) प्रखंड समन्वयक

(i) शैक्षणिक योग्यताओं के स्कोर के आधार पर अभ्यार्थियों की श्रेणी वार “प्रारंभिक मेधा सूची” लिखित / दक्षता परीक्षा हेतु तैयार की जायेगी

(ii) प्रखंड समन्वयक के पदों के रिक्तियों के विरुद्ध “प्रारंभिक मेधा सूची” से चयन समिति के निर्णय के अनुसार लिखित / दक्षता परीक्षा हेतू आमंत्रित किया जाएगा।

(iii) शैक्षणिक योग्यता अंक एवं लिखित / दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर संविदा पर नियुक्ति हेतू अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी

योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया:-

- **प्रारंभिक मेधा सूची**

  क) प्रत्येक पद के लिए प्रारंभिक मेधा सूची निर्धारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता का 80% weightage के आधार पर निकाला जाएगा

  ख) कुलअंक के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

- **अंतिम मेधा सूची तैयार करने की विधि एवं पदों पर नियुक्ति**

  अंतिम चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता का 80% weightage एवं लिखित / दक्षता परीक्षा का 20% weightage को जोड़ कर तैयार किया जायेगा

4: वार्षिक समीक्षा

प्रखंड समन्वयक जिनके नियंत्री पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी है, के द्वारा उनके कार्य की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

5: संविदा पर नियुक्ति हेतू नियम एवं शर्तें

i. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा (contractual basis) के आधार पर होगी।

ii. ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का परिषद् पर कोई दायित्व नहीं होगा।

iii. नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएँगी । तत्पश्चात कार्य संतोषजनक पाए जाने पर संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।

iv. यदि कोई कर्मी स्वतः सेवा मुक्त होना चाहेगा तो उसे 1 माह पूर्व लिखित रूप से सूचित करने अथवा 1 माह की परिलब्धि जमा करने पर सेवा मुक्त किया जायेगा, किन्तु असंतोषप्रद सेवा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक माह के पूर्व सूचनाअथवा एक माह की परिलब्धि दे कर सेवा समाप्त की जाएगी।

v. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हक़दार नहीं होंगे।

vi. संविदा पर नियुक्त कर्मी को नियत मानदेय अनुमान्य होगा। नियत मानदेय के अलावे किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा किन्तु सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए नियत प्रावधानों के तहत यात्रा भत्ता देय होगा।

vii. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की आचार संहिता लागू होगी।

6: आरक्षण :

1: आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

2: विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार में लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगें। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्न प्रमाण पत्रसमर्पित करने होगें:

- जाति प्रमाण पत्र : अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत ।

4: स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त ही आनलाईन आवेदन भरना सुनिश्चित करे।

7: लिखित परीक्षा का स्वरुप (प्रखंड समन्वयक)

i. परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होगें।

ii. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा की भाषा हिंदी/अंग्रेजी होगी।

iii. परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेगें :

- सामान्य ज्ञान : 20 प्रश्न
- झारखण्ड राज्य से सम्बंधित ज्ञान: 20 प्रश्न
- पंचायत राज व्यवस्था : 20 प्रश्न

- सामान्य गणित : 20 प्रश्न
- मानसिक क्षमता जांच : 20 प्रश्न

कुल अंक : 100

8 (क): परीक्षा का पाठयक्रम :

i. **सामान्य ज्ञान**: इसमें प्रश्नों का उदेश्य अभ्यर्थियों के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकीं योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलें की जानकारी जैसा की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड , भारत एवं पडोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते है। सम- सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार , भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि , राजधानी, मुद्रा , खेल खिलाडी एवं महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य , भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेताएँ।

ii. **झारखण्ड राज्य का ज्ञान** : राज्य की सभ्यता, संस्कृति,, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल, एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाडी, नागरिक उपलब्धियां , पुरस्कार इत्यादि।

iii. **पंचायत राज व्यवस्था**: पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास , संविधान के 73 वें संशोधन के मुख्य प्रावधान एवं महत्व, विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं , संशोधन की प्रमुख धाराएँ एवं अनुसूचियां , झारखण्ड में पंचायत राज व्यवस्था एवं अधिनियम के मुख्य प्रावधान

iv. **सामान्य गणित:** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित , प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल से सम्बंधित प्रश्न रहेगें।

v. **मानसिक क्षमता जांच**: इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होगें। इस घटक में निम्न से सम्बंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है : सादृश, समानता एबं भिन्नता , स्थान कल्पना , समस्या समाधान , विश्लेषण दृश्य स्मृति , विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण , अंक गणितीय तर्क शक्ति , अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

9: परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रुपये : 500/- (पाँच सौ) है जिसे online समर्पित किया जाएगा। अन्य माध्यमों से समर्पित परीक्षा शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

शुल्क में छुट : झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250/- (दो सौ पच्चास रुपये) है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।